कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

–:: परिपत्र ::–

क्रमांक– 44 /दो–12–02/2022 दमोह, दिनांक ..../01/2025

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायाधीशगण एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण आकस्मिक अवकाश के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवश्यक कार्य का उल्लेख करते हुये आवेदन प्रस्तुत करते हैं, परंतु समुचित कारण का उल्लेख आवेदन में नहीं किया जाता है। जबकि म.प्र. अवकाश नियम 1977 के अनुसार आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत अवकाश आवेदनों में पर्याप्त कारण न होने के उपरांत भी न्यायिक अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रेषित/ अनुशंसा की जाती है, उसके उपरांत कार्यालय से अन्य कर्मचारी की मांग की जाती है, जबकि अधिकांश न्यायालयों में आसंजित लिपिक के रूप में कर्मचारी की पदस्थापना की गई है।

अतः न्यायिक जिला स्थापना दमोह पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे अपने आकस्मिक अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में अवकाश लिये जाने के स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुये आवेदन प्रस्तुत करें।

अतः उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जावे।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृ. क्रमांक–258 /दो–12–02/2022 दमोह, दिनांक 27/01/2025

आदेशानुसार प्रतिलिपि :–

1. समस्त न्यायालय/अनुभाग...दमोह/हटा/पथरिया/ तेन्दूखेडा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक दमोह/हटा/पथरिया/तेन्दूखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर माननीय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/लेखापाल/सहायक लेखापाल/ऑफिस मोहर्रिर/ऑफिस टाईपिस्ट/वेतन लिपिक/एचआरएमएस लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/25

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म.प्र.)